प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, एसयू उदयपुर थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2023
प्र.इ.रि.स 27/23 दिनांक 12/10/2023

2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट – धारा 7, पी.सी.एक्ट 1988 (संशोधित 2018)
(2) अधिनियम भा.द.स. –
(3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं –

3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या 213 समय 7:30 pm
(2) अपराध के घटने का दिन बुधवार दिनांक 11.10.2023 समय 09:37 ए.एम
(3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 06.10.2023 समय करीब 09:04 पी.एम.

4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – लिखित

5. घटना स्थल :
(1) थाना/यूनिट से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग 530 किलोमीटर
(2) पता – कक्ष संख्या 02 सरकारी डाक बंगला डूंगरपुर।
..... बीट संख्या ..... जरायमदेही संख्या .....
(3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ..... जिला .....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता –
परिवादी
(1) नाम : – श्री शान्तिलाल कटारा
(2) पिता का नाम : – श्री तेजपाल कटारा
(3) आयु : – 35 वर्ष
(4) राष्ट्रीयता : –भारतीय
(5) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि.....जारी होने की जगह.....
(6) व्यवसाय : – प्राईवेट काम
(7) पता : – गांव देवली, ग्रम पंचायत सत्तु पंचायत समिति दोवडा जिला डुंरपुर।
सहपरिवादी :– श्री सुरेश पाटीदार पुत्र श्री देवजी पाटीदार निवासी मसाण तहसील आसपुर थाना दोवडा हाल जेटीए पं.स. दोवडा जिला डूंगरपुर।

7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
श्री अजय भार्गव पुत्र श्री बसंत किशोर भार्गव, उम्र 58 वर्ष, निवासी 1 के 58, महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा हाल अधिशाषी अभियन्ता, नरेगा, कार्यालय जिला परिषद, डूंगरपुर।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण : –

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

क्रम. सं.	सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित मूल्य	वस्तु स्थिति
1.	भारतीय चलन मुद्रा	52,500 रूपये	

आरोपी श्री अजय भार्गव पुत्र श्री बसंत किशोर भार्गव, उम्र 58 वर्ष, निवासी 1 के 58, महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा हाल अधिशाषी अभियन्ता, नरेगा, कार्यालय जिला परिषद, डूंगरपुर द्वारा ग्राम पंचायत सत्तु पंचायत समिति दोवडा जिला डुंगरपुर की सरपच श्रीमति काली देवी कटारा के पुत्र परिवादी श्री शान्तिलाल कटारा से ग्राम पंचायत में होने वाले नरेगा कार्यो की पत्रावलीयों में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करवाने की एवज दिनांक 07.10.2023 को 10,000, दिनांक 10.10.2023 को 5,000 रूपये एवं दौराने लेनदेन वार्ता दिनांक 11.10.2023 को 47,500 रूपये अवैध पारितोषण के रूप में ग्रहण कर सहपरिवादी की कार के कॉ ड्राईवर सीट बेल्ट लॉक के पास रखना।

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 52,500
11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

महोदय,

निवदेन है कि दिनांक 06.10.2023 को समय करीब 09.04 पी.एम. पर श्री उमेश ओझा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र0नि0 ब्यूरों, एसयू उदयपुर ने जरिये मोबाईल मन् पुलिस निरीक्षक को कॉल कर परिवादी श्री शान्तिलाल कटारा पिता श्री तेजपाल कटारा निवासी देवकी, पुलिस थाना दोवडा, जिला डूंगरपुर के मोबाईल नंबर 7568349134 प्रदान करते हुए बताया कि परिवादी श्री शान्तिलाल कटारा द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के हेल्पलाईन नम्बर 1064 पर कॉल कर श्री अजय भार्गव हाल अधिशाषी अभियन्ता, जिला परिषद डूंगरपुर के विरूद्ध शिकायत की है। परिवादी श्री शान्तिलाल कटारा से संपर्क कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अग्रीम कार्यवाही प्रारम्भ कर श्री दिनेश कुमार कानि को परिवादी श्री शान्तिलाल कटारा के मोबाईल नंबर 7568349134 दे दिनांक 07.10.2023 को कार्यालय से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर लेकर डूंगरपुर पहुंच परिवादी श्री शांतिलाल से सम्पर्क कर परिवादी से लिखित रिपोर्ट प्राप्त कर नियमानुसार रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड करे।

दिनांक 07.10.2023 को प्रातः निर्देशानुसार कानि श्री दिनेश कुमार ब्यूरो कार्यालय से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर अपने साथ लेकर डुंगरपुर की तरफ गया। राजकीय अवकाश होने तथा ट्रेप कार्यवाही में दो स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने से सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर को जरिये दुरभाष सम्पर्क कर स्वतंत्र गवाह श्री मांगीलाल बुनकर पुत्र श्री शंकरलाल जी बुनकर उम्र 52 वर्ष, निवासी मकान नम्बर 4, सेक्टर नम्बर 05, हिरणमगरी, जिला उदयपुर हाल वरिष्ठ सहायक, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर एवं श्री श्री कैलाश डांगी पुत्र श्री प्रेमराज डांगी उम्र 40 वर्ष, निवासी सियालपुरा, पुलिस थाना सुखेर, जिला उदयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर की तलबी की गई। तत्पश्चात समय करीब 08.35 ए.एम. इस समय फिनोफ्थेलीन पाउडर की शीशी को श्री भारत सिंह कानि के पास सुरक्षित रखवायी जाकर मन् पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाह श्री मांगीलाल बुनकर, श्री कैलाश डांगी, ब्यूरो टीम सउनि श्री सुरेश कुमार सोनी, हैडकानि. श्री लालसिंह, श्री चन्द्रकान्त, कानि श्री भारत सिंह मय फिनोफ्थेलीन पाउडर, श्री प्रदीप भण्डारी मय लेपटोप, प्रिन्टर, यूपीएस, ट्रेपबॉक्स एवं आवश्यक संसाधन के प्राईवेट टेक्सी वाहन से डूंगरपुर के लिए रवाना हो 10.30 ए.एम. पर डूंगरपुर रेलवे स्टेशन के पास पंहुचा तभी समय करीब 10.31 ए.एम पर श्री दिनेश कुमार कानि0 ने उसके मोबाईल नम्बर 9460324126 से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नंबर 9414267591 पर कॉल कर बताया कि ''आपके निर्देशानुसार कार्यालय पहुँच कार्यालय की आलमारी से सोनी कंपनी का डिजिटल वॉईस रिकार्डर बरंग काला जिसमें सेनडिस्क 16 जीबी मेमोरी कार्ड खाली बरंग काला लगा हुआ को लेकर सुबह समय करीब 09.00 एएम पर डूंगरपुर पहुँच परिवादी श्री शान्तिलाल कटारा से संपर्क कर परिवादी से लिखित रिपोर्ट प्राप्त की। परिवादी श्री शांतिलाल ने बताया जिस पर परिवादी ने बताया कि मेरी माता श्रीमति काली देवी ग्राम पंचायत सत्तु, पंचायत समिति दोवडा की सरपंच है। उनका स्वास्थय खराब रहने से में उनके सरपंच पद के कार्यो में उनकी सहायता करता हूं। मेरी माता कालीदेवी सरपंच के कहे अनुसार ग्राम पंचायत सत्तु में मनरेगा कार्यो की पत्रावलीयां प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु जिला परिषद डुंगरपुर के अधिशाषी अभियंता श्री अजय भार्गव से मिला तो उन्होने मेरे से फाईलो के आवेदन पर 5,000 रूपये मांग कर ग्रहण किये सभी कामों की पत्रावलीयों में वित्तिय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दिलवाने के एवज में रिश्वत की मांग की गई। परिवादी श्री शान्तिलाल कटारा अपने साथ श्री सुरेश पाटीदार, जेटीए, पंचायत समिति देवडा, डुंगरपुर के उपस्थित हुआ। श्री सुरेश पाटीदार जेटीए ने बताया कि मैं पंचायत समिति दोवडा में जेटीए (संविदा) के पद पर पदस्थापित हुं। श्री अजय भार्गव अधिशाषी अभियन्ता रिश्वतखोर अधिकारी है एवं पंचायत समिति में होने वाले कामों की स्वीकृतियां देने के एवज में रिश्वत की मांग करते हैं। जिस पर परिवादी श्री शान्ति लाल ने बताया कि उक्त कार्यवाही में श्री सुरेश पाटीदार जेटीए साथ में रहेंगे। परिवादी ने बताया कि श्री अजय भार्गव अधिशाषी अभियंता डाक बंगला डूंगरपुर पर रहते हैं उन्होंने रिश्वत राशि के रूपये लेकर वहीं पर बुलाया है तथा बिना रूपये लिये बातचीत नही करेंगे, इसलिये मैं अभी दस हजार रूपये साथ लेकर आया हूँ। उसके बाद मैंने परिवादी श्री शान्तिलाल कटारा को डिजिटल टेप रिकॉर्डर के संचालन की प्रकिया की समझाईश कर परिवादी एवं सहपरिवादी श्री सुरेश पाटीदार को समय करीब 09.25 एएम पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालू कर परिवादी श्री शान्तिलाल जी को देकर डाक बंगला डूंगरपुर की तरफ रवाना किया मैं अपनी उपस्थिति छुपाये डाक बंगला के आस-पास मेन रोड पर खडा रहा। परिवादी श्री शान्तिलाल कटारा एवं श्री सुरेश पाटीदार समय करीब 10.16 एएम पर मेरे पास आये श्री शान्तिलाल कटारा से मैंने डिजिटल टेप रिकॉर्डर लेकर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी श्री शान्तिलाल कटारा ने बताया कि श्री अजय भार्गव से

बातचीत हो गयी है उन्होने श्री सुरेश पाटीदार द्वारा पेमेन्ट की व्यवस्था करने हेतु कहा तथा श्री अजय भार्गव ने मुझसे दस हजार रूपये भी ग्रहण कर लिये है''। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री दिनेश कुमार कानि को परिवादी एवं सहपरिवादी को अपने साथ लेकर डूंगरपुर रेल्वे स्टेशन पर पहुँचने की हिदायत दी गई। कुछ समय पश्चात् श्री दिनेश कुमार कानि मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय परिवादीगण श्री शान्तिलाल कटारा एवं श्री सुरेश पाटीदार उपस्थित आये। श्री दिनेश कुमार कानि ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर व परिवादी श्री शान्ति लाल प्रस्तुत शिकायत मन् पुलिस निरीक्षक को दिये। मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादीगण को अपना व हमराहियान का परिचय देकर उपरोक्त हस्तलिखित प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया जिसमें अंकित किया है कि ''मैं शान्तिलाल पुत्र तेजपाल कटारा उम्र 35 वर्ष निवासी देवली ग्राम पंचायत सतु पंचायत समिति दोवडा जिला डूँगरपुर का रहने वाला हूँ। मेरी माताजी श्रीमती काली देवी कटारा ग्राम पंचायत सतु की सरपंच है। उनका स्वास्थ्य खराब रहने से मैं उनके सरपंच पद के कार्यो को करने में उनकी सहायता करता हूँ। मेरी माताजी श्रीमती काली देवी के कहेनुसार ग्राम पंचायत सतु में मनरेगा कार्य का आवेदन फाईल तैयार कर स्वीकृत करवाने के लिये कार्यालय जिला परिषद डूंगरपुर के अधिशाषी अभियंता श्री अजय भार्गव से मिला तो उन्होने मुझसे फाईल के आवेदन करने पर पाँच हजार रूपये मांग कर ले लिये जिसकी मुझे उन्होने कोई रसीद नही दी तथा कार्य स्वीकृत करने के लिये मनरेगा कार्यो की स्वीकृति के लिये आवेदन की गयी फाईलो में मनरेगा कार्य की सामग्री की अनुमानित राशि 94,00,000/- (चौरानवे लाख) रूपये का 02 प्रतिशत लगभग 1,80,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रहा हैं। मैं उन्हे रिश्वत राशि नही देकर मेरी माताजी के कहेनुसार रिश्वत राशि लेते रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। कार्यवाही करे।'' तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादीगण से दरियाफ्त की तो परिवादी ने पूर्व में श्री दिनेश कुमार कानि के बताये गये तथ्यों की ताईद गई। मन् डिजिटल वॉइस रिकार्डर को चलाकर सुना गया तो परिवादी श्री शान्तिलाल कटारा एवं श्री सुरेश पाटीदार से अधिशाषी अभियंता श्री अजय भार्गव द्वारा द्वारा 10,000 रूपयें रिश्वत राशि ग्रहण करना पाया गया। वार्ता में मांग सत्यापन स्पष्ट नही होना पाया गया। श्री सुरेश कुमार पाटीदार जेटीए ने बताया कि ग्राम पंचायत सतु में होने वाले महानरेगा कुल 16 कार्यो मेसे 12 कार्यो की पत्रावलीयों में जिला परिषद् से स्वीकृति प्राप्त होनी है। उक्त कार्यो में कुछ कार्य ज्यादा मद वाले जिनमे सामग्री भाग में अधिक राशि होने से उक्त कार्यो की उक्त समस्त कार्यो की स्वीकृतिया देने की एवज में श्री अजय भार्गव अधिशाषी अभियंता द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है। उक्त कार्यो में भचडीया तालाब से डाकलीया कुआ तक नहर निर्माण, चोराया से दलु/भाणजी के घर तक सीसी रोड, नई सतु राजस्व ग्राम में सीसी रोड एवं नारायण के घर से गटू/हलिया के घर तक सीसी रोड कार्य की पत्रावलियों में राशि ज्यादा होने से स्वीकृति देने की एवज में श्री अजय भार्गव द्वारा रिवश्त की मांग की जा रही है। परिवादी ने बताया कि श्री अजय भार्गव अधिशाषी अभियन्ता ने मेरी पंचायत की पत्रावलियों की स्वीकृति के सम्बंध में वार्ता की एवं सांय तक स्वीकृति मिलने के बारे में बताया है। इसलिए श्री अजय भार्गव रिश्वत सम्बंधित वार्ता आज शाम को कर सकते है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी एवं सहपरिवादी को हिदायत देकर रूखसत किया मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान रवाना खैरवाडा पंहुचा। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसयू उदयपुर भी खेरवाडा उपस्थित आये जिन्हे उपरोक्त हालात निवेदन किये एवं परिवादी का प्रार्थना प्रस्तुत किया जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रिपोर्ट पर पृष्ठांकन कर कार्यावाही हेतु निर्देशित किया। इसके पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक मय कानि. भारत सिंह पुनः रेलवे स्टेशन डूंगरपुर पंहुचे जहां पूर्व पाबंदशुदा परिवादी, सहपरिवादी एवं श्री दिनेश कुमार कानि. के उपस्थित मिले। इसी दौरान 3.33 पीएम पर संदिग्ध आरोपी श्री अजय भार्गव ने सहपरिवादी श्री सुरेश पाटीदार के मोबाईल फोन पर कॉल कर बताया कि ''4 सीसी रोड की फाईल सेंक्शन कर दी है। अब कागज मंगाओ भईया।'' जिस पर परिवादी ने बताया कि श्री अजय भागर्व बहुत शातिर है वह रिश्वत राशि की वार्ता में कोड वर्ड में कागज के नाम से रूपये की मांग करते है। उक्त वार्ता को सहपरिवादी के मोबाईल फोन को लॉउड मोड चालूकर डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात रिश्वत मांग सत्यापन के प्रयास किये गये, किन्तु सदिग्ध श्री अजय भार्गव उपस्थित नहीं मिला जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी एवं सहपरिवादी को आईदा सत्यापन करने एवं गोपनियता बरतने की हिदायत देकर रूखसत किया। मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री भारत सिंह एवं श्री दिनेश कुमार कानि. के टेक्सी वाहन से डुंगरपुर से रवाना हो खैरवाडा पंहुच गवाहान जाप्ता को हमराह लेकर ब्यूरो कार्यालय एस.यू. उदयपुर पंहुचा। श्री भारत सिंह कानि. से फिनोप्थलीन पाउडर की शीशी लेकर कार्यालय की अलमारी में रखवाई गई। गवाहान को बाद हिदायत रूखसत किया।

तत्पश्चात् दिनांक 08.10.2023 को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा जरिये फोन श्री दिनेश कुमार कानि. 266 को परिवादी श्री शान्तिलाल कटारा से सम्पर्क कर दिनांक 09.10.2023 को सुबह 09.00 एएम पर डूंगरपुर पहुँच रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाने हेतु निर्देशित किया। दिनांक 09.10.2023 समय करीब 09.51 ए.एम पर श्री दिनेश कुमार कानि. 266 ने मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर कॉल कर बताया कि मैं आपके निर्देशानुसार ब्यूरो कार्यालय से डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लेकर समय करीब 09.00 एएम पर डूंगरपुर पहुँच परिवादी श्री शान्तिलाल कटारा से जरिये मोबाईल सम्पर्क किया तो परिवादी ने बताया कि मुझे आज कुछ काम है तथा श्री अजय भार्गव का मेरे व मेरे साथी सुरेश पाटीदार के पास मिलने के लिये फोन नही आया है, जैसे ही श्री अजय भार्गव अधिशाषी अभियन्ता का फोन आयेगा तो मैं आपको कॉल कर सूचित कर दुंगा। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने कानि दिनेश कुमार को अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देशित दिये। तत्पश्चात समय करीब 05.31 पी.एम. पर श्री दिनेश कुमार कानि. 266 ने मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर कॉल कर बताया कि दोपहर करीब 01.00 पीएम पर परिवादी का साथी श्री सुरेश पाटीदार मुझसे सम्पर्क कर मेरे पास बस स्टेण्ड आया मैं उसके साथ परिवादी श्री शान्तिलाल के पास गया। परिवादी श्री शान्तिलाल कटारा ने बताया कि श्री अजय भार्गव का भी मिलने के लिये मेरे व मेरे साथी सुरेश पाटीदार के पास फोन नही आया है। श्री अजय भार्गव आज कभी भी फोन करके बुला सकता है। जिस पर मैंने परिवादी व उसके साथी श्री सुरेश को श्री अजय भार्गव का फोन आने पर इसकी सूचना तुरन्त मुझे देने के लिये कहा है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री दिनेश कुमार कानि को अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देशित कर डूंगरपुर ही मुकिम रहने की हिदायत दी गई।

दिनांक 10.10.2023 को समय करीब 06.01 पी.एम. पर श्री दिनेश कुमार कानि. 266 ने मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर कॉल कर बताया कि मैं आपके निर्देशानुसार रात्रि डूंगरपुर ही मुकिम रहा। आज मैंने परिवादी एवं सहपरिवादी से सम्पर्क किया परिवादी श्री शान्तिलाल कटारा ने बताया कि श्री सुरेश पाटीदार की श्री अजय भार्गव से वार्ता हुई है उन्होंने हम दोनों को आज शाम को वार्ता के लिये बुलाया है। श्री अजय भार्गव बिना रिश्वत लिये वार्ता नहीं करते हैं। इसलिए उन्हें वार्ता के दौरान कुछ रूपये देने पडेंगे मेरे पास 500-500 रूपये के नोट कुल 15,000/- रूपये पडे हैं। जिस पर मुझ कानि. द्वारा अपने मोबाईल से उक्त 500-500 रूपये के नम्बरी 30 नोटों के फोटोग्राफ लेकर परिवादी को पुनः सुपुर्द किये। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा भी परिवादी श्री शान्तिलाल कटारा से जरिये फोन वार्ता कर आवश्यक हिदायत देकर मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात समय करीब 09.03 पी.एम. पर कानि श्री दिनेश कुमार ने उसके मोबाईल से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर कॉल कर बताया कि परिवादी श्री शान्तिलाल कटारा में मुझे बताया कि आज शाम को श्री अजय भार्गव जी ने मुझे व श्री सुरेश पाटीदार को वार्ता हेतु बस स्टेण्ड डूंगरपुर के बाहर रजवाडी चाय के सामने बुलाया,जिस पर मैंने परिवादी श्री शान्तिलाल कटारा को डिजिटल टेप रिकॉर्डर के संचालन की प्रक्रिया की समझाईश कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की रिकॉर्डिंग हेतु डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालू कर दिया उसके बाद परिवादी श्री शान्तिलाल कटारा एवं सहपरिवादी श्री सुरेश पाटीदार को उनकी कार से बस स्टेण्ड डूंगरपुर की तरफ रवाना किया तथा मैं बस स्टेण्ड के आस पास ही इन्तजार में खडा रहा। समय करीब 07.43 पीएम पर परिवादी श्री शान्तिलाल कटारा व उनका साथी श्री सुरेश पाटीदार मेरे पास आये, श्री शान्तिलाल कटारा ने मुझे डिजिटल टेप रिकॉर्डर दिया जिसे बन्द कर मैंने मेरे पास रख लिया। उसके बाद श्री शान्तिलाल कटारा ने मुझे बताया कि मैं व श्री सुरेश पाटीदार यहाँ से रवाना होकर बस स्टेण्ड के पास रजवाडी चाय वाले के यहाँ पहुँचे वहाँ पूर्व से श्री अजय भार्गव अधिशाषी अभियंता एवं श्री पंकज पण्डिया जेटीए पंचायत समिति दोवडा चाय की दूकान पर बेठे हुए थे। श्री अजय भार्गव से हमने मेरे ग्राम पंचायत के कार्यों की स्वीकृति के सम्बंध में वार्ता की तो श्री अजय भार्गव ने रिश्वत राशि की मांग की जिस पर मेरे हाथाजोडी करने पर श्री पंकज पण्ड्या जेटीए ने भी उनसे निवेदन किया लेकिन श्री अजय भार्गव अधिशाषी अभियन्ता नहीं माने इसके बाद श्री पंकज पण्ड्या चाय की दूकान से बाहर जाकर कार में बेठ गये हमने श्री अजय भार्गव से हाथाजोडी की तो वार्ता के दौरान उन्होंने मुझसे पूर्व में लिये गये 20,000/- रूपयों ग्रहण करने की सहमति दी तथा मांग सत्यापन वार्ता के दौरान श्री अजय भार्गव ने मेरे से 5,000/- रूपये रिश्वत राशि मांगी, जिस पर मेने मेरे पास रखे 500-500 रूपये के 10 नोट कुल 5,000/- रूपये उन्हे देने लगा तो उन्होंने बाहर कार में बेठे श्री पंकज पण्ड्या जेटीए को देने के लिये कहा जिस पर मेने 5,000/- रूपये कार में बेठे श्री पंकज पण्ड्या को देने लगा तो उन्होंने राशि को कार के डेशबोर्ड पर रखवा दिये। इसके बाद श्री अजय भागर्व द्वारा मेरे कार्यों की स्वीकृति देने के एवज में 45,000/- रूपये और रिश्वत राशि की मांग की गई। उक्त वार्ता को मैंने एसीबी के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्डर कर लिया

है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री शान्तिलाल कटारा से जरिये फोन वार्ता की तो परिवादी ने भी श्री दिनेश कुमार कानि के बताये गये कथनो की ताईद की एवं बताया कि श्री पंकज पण्ड्या जेटीए भी ग्रम पंचायत दोवडा में जेटीए है। उनके पास अन्य पंचायतो के चार्ज है। वार्ता के श्री अजय भागर्व के कहने पर मेंने पंकज पण्ड्या को 5000 रूपये दिये है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को संदिग्ध श्री अजय भार्गव को दी जाने वाली रिश्वत राशि 45,000/- रूपये की व्यवस्था कर गोपनियता रखने की हिदायत दी तथा श्री दिनेश कुमार कानि को रिकॉर्डर अपने पास सुरक्षित रखने व डूंगरपुर ही मुकिम रहने की हिदायत दी गई।

दिनांक 11.10.2023 को पूर्व तलबीशुद गवाहान की जरिये दूरभाष तलबी कर कार्यालय की अलमारी से फिनोफ्थेलीन पाउडर की शीशी को श्री अजय कानि. से निकलवाई जाकर अकबार में लपेट कर उसके पास सुरक्षित रखवायी जाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री मांगीलाल बुनकर, श्री कैलाश डांगी, ब्यूरो टीम सउनि श्री सुरेश कुमार सोनी, हैडकानि. श्री लालसिंह, श्री चन्द्रकान्त, कानि श्री अजय कुमार मय फिनोफ्थेलीन पाउडर, श्री प्रदीप भण्डारी मय लेपटोप, प्रिन्टर, यूपीएस, ट्रेपबॉक्स एवं आवश्यक संसाधन के प्राईवेट टेक्सी वाहन से डूंगरपुर के लिए रवाना हो समय 8.10 ए.एम पर होटल राज पैलेस, डुंगरपुर पंहुचा जहां श्री दिनेश कानि. एवं परिवादी श्री शान्तिलाल कटारा एवं सहपरिवादी श्री सुरेश पाटीदार जेटीए उपस्थित मिले। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री मांगीलाल बुनकर, श्री कैलाश डांगी से ब्यूरो द्वारा की जा रही ट्रेप कार्यवाही में बतोर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहने की स्वीकृति चाही गई तो दोनों गवाहान ने अपनी-अपनी मौखिक स्वीकृति प्रदान की गई। तत्पश्चात् परिवादी, सहपरिवादी एवं गवाहान का आपस में परिचय करा परिवादी श्री शान्तिलाल कटारा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 07.10.2023 को परिवादी, सहपरिवादी एवं गवाहान के समक्ष पढकर सुनाया तो परिवादी ने बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र उसकी स्वयं की हस्तलिपि में होकर उस पर अंकित हस्ताक्षर उसी के हैं तथा प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य सत्य है। श्री सुरेश पाटीदार ने भी उपरोक्त तथ्यों की ताईद कर प्रार्थना पत्र पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। परीवादी के उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनो स्वंतत्र गवाहानों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् डिजिटल वॉईस रिकार्डर में दिनांक 07.10.2023 एवं दिनांक 10.10.2023 को रिकॉर्ड की गई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के मख्य अंश को चलाकर सुना गया तो संदिग्ध श्री अजय भार्गव द्वारा परिवादी श्री शान्तिलाल कटारा के महानरेगा के कार्यों की पत्रावलियों में स्वीकृति देने के एवज में 20,000/- रूपये मांग कर ग्रहण करना एवं 45,000/- रूपये रिश्वत की मांग करना सत्यापित पाया गया है।

तत्पश्चात् उपरोक्त गवाह के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा संदिग्ध आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि परिवादी श्री शान्तिलाल कटारा से मांगने पर परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 90 नोट कुल 45,000/- रूपये भारतीय चलन मुद्रा के निकालकर प्रस्तुत किये जिनके नम्बर निम्नानुसार है :-

क्र.स.	नोट का प्रकार	नोटों के नम्बर
1.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1DL 235130
2.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5GS 026140
3.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5KK 797422
4.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9DK 653675
5.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4GA 347666
6.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5RR 687663
7.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1QV 581250
8.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6WQ 803946
9.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7WT 359750
10.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1AD 632384
11.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4SP 949760
12.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6BB 531845
13.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4LQ 048485
14.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0RE 453704
15.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4WM 063433
16.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0MB 159410
17.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6RK 278036

18.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7KP 915463
19.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6QU 326474
20.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1AD 812191
21.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9GV 417890
22.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6GD 535959
23.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6WA 037006
24.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4HB 982909
25.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4PK 434808
26.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2UE 906170
27.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1CU 185043
28.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3FK 135631
29.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6UA 592436
30.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6TS 742379
31.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7MK 628951
32.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7DM 681498
33.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4KM 385859
34.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8RN 982340
35.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6RD 966221
36.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6HK 969261
37.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0QW 801768
38.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4CU 729279
39.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3NT 022503
40.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1WE 904145
41.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0KD 364000
42.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5HV 479550
43.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3VM 609166
44.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1AN 223814
45.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0CQ 521913
46.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7GC 042203
47.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1DU 002508
48.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6LV 105923
49.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5RF 607811
50.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0ME 887293
51.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3TG 134663
52.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9HA 687796
53.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0LV 315217
54.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3SW 614838
55.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2HR 266453
56.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2HR 266456
57.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6UH 528015
58.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7BP 216088
59.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8SP 969104
60.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2RA 142353
61.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9FV 185070
62.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2NE 189066
63.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1HV 029719
64.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1GH 451294
65.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3VG 669893

66.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5EK 436863
67.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4LK 196608
68.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1GU 104206
69.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2KW 072414
70.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1PA 526850
71.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4AE 041400
72.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9VL 012969
73.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0DF 741983
74.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9GF 142875
75.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7TP 538518
76.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5BU 789203
77.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8GB 415150
78.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0AA 746248
79.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7EC 460798
80.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0HS 466256
81.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7QR 846159
82.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1ED 481685
83.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5EU 486008
84.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5VE 477597
85.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2KA 893069
86.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4VG 839175
87.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2PN 931809
88.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4FD 900912
89.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7SD 687555
90.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7SD 687554

उपरोक्त प्रस्तुत नोटों का मिलान स्वंतत्र गवाहान से करवाया गया तत्पश्चात् श्री अजय कुमार कानि. के पास रखवाई फिनोफ्थेलीन पाउडर की शीशी को मंगवाकर अखबार बिछा कर नोटों के दोनों ओर श्री अजय कुमार कानि. से फिनोफ्थेलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी की जामा तलाशी गवाह श्री मांगीलाल बुनकर से लिवाई गई जिसमें मोबाईल के अलावा 500–500/– रूपये के पांच नोट कुल 2,500 रूपये मिले जिन्हें सहपरिवादी श्री सुरेश पाटीदार को सम्भलाये गये। तत्पश्चात् परिवादी के पास कोई अन्य वस्तु नहीं छोडी जाकर फिनोफ्थेलीन लगे हुए नोटों को श्री अजय कुमार कानि. से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट के आगे की दांयी जेब में कुछ शैः न छोड़ते हुए रखवाये गये। तत्पश्चात् श्री प्रदीप भण्डारी कानि0 से ट्रेप बॉक्स मेसे एक पारदर्शी प्लास्टिक का नया गिलास निकलवाकर उसमें पीने का साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस घोल में श्री अजय कुमार कानि. की अंगुलियां व अंगुठे जिन पर फिनॉफ्थलीन पाउडर लगा हुआ है, को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि आरोपी परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोलफ्थेलीन पाउडर उसकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उनके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो धोवन का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी धोवन को कानि0 श्री अजय कुमार से होटल के रूम के बाथरूम में फिकवाया गया तथा उपरोक्त प्लास्टिक के गिलास व अखबार को नष्ट किया गया। तत्पश्चात् परिवादी एवं सहपरिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपी श्री अजय भार्गव अधिशाषी अभियन्ता, जिला परिषद डूंगरपुर को उनकी मांग अनुसार 45,000/– रूपयें रिश्वती राशि मांगने पर ही देवें। परिवादी श्री शान्तिलाल को हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उनके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए, यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें एवं रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट

का प्रदर्शन न करे, तथा परिवादी एवं समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों के भी हाथों को साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये एवं परिवादी को छोडकर समस्त ट्रेप पार्टी एवं पुलिस निरीक्षक की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहों से लिवाई तथा स्वतंत्र गवाहों के आपस में एक दूसरें से जामा तलाशी लिवाई गई जिसमें विभागीय पहचान पत्र तथा अपने-अपने मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। तत्पश्चात् गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य होने वाले रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। तत्पश्चात् परिवादी एवं सहपरिवादी को हिदायत दी कि आरोपी के रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करें अथवा अपने मोबाईल फोन से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल फोन पर कॉल करें। उक्त ईशारें के बारें में ब्यूरों टीम को समझाया गया। मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर परिवादी एवं सहपरिवादी को अंकित करवाये। तत्पश्चात श्री शान्तिलाल को डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड सहित रिश्वत लेन-देन की वार्ता की रिकॉर्डिंग हेतु संचालन की विधि पुनः समझाईस कर पेंट की आगे की बांयी जेब में रखवाया जाकर सुपुर्द किया गया। उपर्युक्त कार्यवाही की पृथक से फर्द मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। श्री अजय कुमार कानि. को फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी सम्भलाकर होटल रूम में ही उपस्थित रहने की हिदायत दी गई।

तत्पश्चात् परिवादी ने बताया कि श्री अजय भार्गव अधिशाषी अभियन्ता ने सरकारी डाक बंगला, डूंगरपुर मे ही रहते हैं तथा अभी वो डाक बंगले पर ही रिश्वत राशि ग्रहण करेंगे जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा करीब 09:05 ए.एम. पर परिवादी श्री शान्तिलाल कटारा, सहपरिवादी श्री सुरेश पाटीदार एवं श्री दिनेश कुमार कानि. को परिवादी की निजी कार से आगे-आगे रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक मय उपरोक्त स्वतन्त्र गवाहान श्री मांगीलाल बुनकर, श्री कैलाश डांगी, ब्यूरो टीम सदस्य श्री सुरेश कुमार सोनी सउनि, हैडकानि. श्री लालसिंह, श्री चन्द्रकान्त, कानि श्री प्रदीप भण्डारी मय लेपटोप, प्रिन्टर, यूपीएस, ट्रेपबॉक्स एवं आवश्यक संसाधन के प्राईवेट टेक्सी वाहन से होटल राज पैलेस, डूंगरपुर से डाक बंगला, डूंगरपुर की तरफ रवाना हो समय करीब 9.15 ए.एम. पर तहसील चौराहा लक्ष्मण मैदान के सामने पंहुचे। वाहनों को रोड के साईड में खडा किया परिवादी को डिजीटल टेप रिकॉर्डर चालू कर रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता की रिकॉर्डिंग करने की हिदायत दे परिवादी एवं सहपरिवादी को लक्ष्मण मैदान के सामने स्थित सरकारी डाक बंगला, डूंगरपुर की ओर रवाना किया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री दिनेश कुमार कानि. को डाक बंगले के गेट के सामने लक्ष्मण मैदान की बाउण्डरी वॉल के पास खडे रहकर परिवादी के ईशारे को देखने की हिदायत दी गई। मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान टैक्सी वाहन में रहकर परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में खडे रहे। समय करीब 09.37 ए.एम. पर सहपरिवादी श्री सुरेश पाटीदार ने अपने मोबाईल नम्बर 9783446884 से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर 9414267591 पर कॉल कर निर्धारित ईशारा किया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान टेक्सी वाहन से डाक बंगले के मुख्य द्वार से अन्दर प्रवेश किया तो डाक बंगले की सीडियों की तरफ से सहपरिवादी श्री सुरेश पाटीदार के साथ एक व्यक्ति वार्ता करते हुए सहपरिवादी की कार में कॉड्राईवर सीट पर जाकर बेठा जिसकी तरफ परिवादी ने ईशारा कर बताया कि यही श्री अजय भार्गव अधिशाषी अभियन्ता है तथा परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को डिजिटल वॉईस रिकार्डर चालू अवस्था में दिया, जिसे मेने बंद कर अपने पास सुरिक्षत रखा। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान जाप्ता की उपस्थिति में कार में कॉड्राईवर सीट पर बैठे उक्त व्यक्ति को स्वयं एवं हमराहियान का परिचय देकर अपने मन्तव्य से अवगत करा कार से बाहर निकलने का ईशारा कर साथ आये ब्यूरो जाप्ता से उक्त व्यक्ति के दोनों हाथों को कोहनी के उपर से पकडवाया जाकर उस व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री अजय भार्गव पुत्र श्री बसंत किशोर भार्गव, उम्र 58 वर्ष, निवासी 1 के 58, महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा हाल अधिशाषी अभियन्ता, नरेगा, कार्यालय जिला परिषद, डूंगरपुर होना बताया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री अजय भार्गव से परिवादी श्री शान्तिलाल कटारा से ग्रहण की गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो श्री अजय भार्गव ने बताया कि मैं किसी शान्तिलाल कटारा को नहीं जानता हुं ना ही मैने उनसे कोई रिश्वत राशि मांग कर ग्रहण की है। जिस पर पास ही खडे परिवादी श्री शान्तिलाल कटारा ने बताया कि श्री अजय भार्गव अधिशाषी अभियन्ता झुठ बोल रहे हैं, इन्होंने अपनी मांग के अनुसार 45,000/- रूपये रिश्वत राशि अभी-अभी डाक बंगला के बरामदे में ग्रहण कर अपनी पहनी हुई पेंट की सामने की दाहिनी जेब में रखी एवं श्री अजय भार्गव ने 45,000/- रूपये ग्रहण करने के पश्चात् भी मेरे से 5,000/- रूपये राशि की और मांग की जिस पर मेने उनसे हाथाजोडी की तो श्री अजय भार्गव नहीं माने जिस पर मेने श्री सुरेश पाटीदार के पास रखे

500–500 रूपये के पांच नोट कुल 2,500/– रूपये लेकर श्री अजय भार्गव को दिये जो इन्होंने अपने हाथों से ग्रहण कर अपनी पहनी हुई पेंट की सामने की दाहिनी जेब में रखें हैं। इसके बाद श्री अजय भार्गव ने श्री सुरेश पाटीदार को उनकी कार लेकर कहीं चलने के लिए कहा। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा सहपरिवादी श्री सुरेश पाटीदार से पूछने पर सहपरिवादी ने भी परिवादी के बताये गये तथ्यों की ताईद की गई। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री अजय भार्गव परिवादी से ग्रहण की गई रिश्वत राशि के सम्बन्ध में पूछा तो आरोपी घबराकर बोला की साहब मुझे माफ कर दो मुझसे गलती हो गई है। आईन्दा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा मेरा रिटार्यमेन्ट नजदीक है, मेरी जिन्दगी खराब हो जायेगी। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा पुनः तसल्ली देकर पूछने पर आरोपी श्री अजय भार्गव ने बताया कि श्री शान्तिलाल से अभी–अभी जो रिश्वत राशि ग्रहण कर अपनी पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब में रखी है। इसके पश्चात् मैं सुरेश जी की कार में बेठ कर जाने लगा और आपको सामने से तेज गति से आता हुआ देखकर एसीबी कार्यवाही के भय से मैने उक्त राशि श्री सुरेश पाटीदार की कार की सीट के सीट बेल्ट लॉक के पास ही रखी है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा सहपरिवादी की कार में कॉड्राईवर सीट के सीट बेल्ट लॉक के पास देखा तो 500–500 रूपये के नोटों का बंडल पडा होना पाया गया। स्वतंत्र गवाह श्री मांगीलाल बुनकर वरिष्ठ सहायक से उक्त नोटों के बंडल को उठवाकर गिनवाया गया तो उक्त राशि 47,500/– होना बताया जिसे गवाह मांगीलाल को अपने पास सुरक्षित रखने की हिदायत दी गई। श्री दिनेश कुमार कानि. को कार के पास सुरक्षा की दृष्टि से उपस्थित रहने हेतु निर्देशित कर तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक आरोपी श्री अजय भार्गव को यथास्थिति डाक बंगले में लेकर आया। आरोपी श्री अजय भार्गव से डाक बंगले में स्थित स्वयं के ठहरने हेतु उपयोग में लिये जाने वाले कमरे के बारे में पूछा तो उसने डाक बंगले में कमरा नम्बर 02 में ठहरना बताया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी, सहपरिवादी एवं हमराहियान आरोपी श्री अजय भार्गव को लेकर कमरा नम्बर 02 पर पंहुचा जिस पर कमरे की कुण्डी लगी होना पाई गई। कमरे के दरवाजे को खोल कर अन्दर प्रवेश कर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। इसी दौरान श्री उमेश ओझा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उपस्थित आये जिन्हे मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा हालात निवेदन कर आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त किये गये। तत्पश्चात आरोपी द्वारा ग्रहण की गई रिश्वत राशि के प्रमाण हेतु श्री सुरेश सोनी सउनि से ट्रेप बॉक्स मंगवाया गया। परिवादी, सहपरिवादी, गवाहान के समक्ष स्वतंत्र गवाह श्री कैलाश डांगी कनिष्ठ सहायक से ट्रेप बॉक्स में से दो नये पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास निकलवाये जाकर उसमें आरोपी के उक्त कक्ष में रखे पीने के पानी के मग से पानी भरवाया गया। उक्त दोनों गिलासों में गवाह श्री कैलाश डांगी कनिष्ठ सहायक से एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो दोनों गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। एक प्लास्टिक के गिलास के घोल में आरोपी श्री अजय भार्गव के दांहिने हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर शीशियों को श्री सुरेश कुमार सोनी सउनि से सिलचिट करा मार्क RH–1 व RH –2 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार आरोपी के बांये हाथ की अगुलियों व अगूंठे को दूसरे प्लास्टिक के गिलास के घोल में डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ। जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर शीशियों को श्री सुरेश कुमार सोनी सउनि से सिलचिट करा मार्क LH –1 व LH –2 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात गवाह श्री मांगीलाल बुनकर के पास रखे बरामदशुदा रिश्वत राशि नोटो का मिलान पूर्व में मुर्तिब की गई फर्द पेशकशी रिश्वती राशि से कराया गया तो बरामद रिश्वत राशि मे से 500–500 रूपये के 90 नोट कुल 45,000/– रूपये के नम्बरों का मिलान फर्द में अंकित नोटों के नम्बरों से हुबहु होना पाये गये जो निम्नुसार है–

क.स.	नोट का प्रकार	नोटों के नम्बर
1.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1DL 235130
2.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5GS 026140
3.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5KK 797422
4.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9DK 653675
5.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4GA 347666
6.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5RR 687663
7.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1QV 581250

8.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6WQ 803946
9.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7WT 359750
10.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1AD 632384
11.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4SP 949760
12.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6BB 531845
13.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4LQ 048485
14.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0RE 453704
15.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4WM 063433
16.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0MB 159410
17.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6RK 278036
18.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7KP 915463
19.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6QU 326474
20.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1AD 812191
21.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9GV 417890
22.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6GD 535959
23.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6WA 037006
24.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4HB 982909
25.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4PK 434808
26.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2UE 906170
27.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1CU 185043
28.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3FK 135631
29.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6UA 592436
30.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6TS 742379
31.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7MK 628951
32.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7DM 681498
33.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4KM 385859
34.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8RN 982340
35.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6RD 966221
36.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6HK 969261
37.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0QW 801768
38.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4CU 729279
39.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3NT 022503
40.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1WE 904145
41.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0KD 364000
42.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5HV 479550
43.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3VM 609166
44.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1AN 223814
45.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0CQ 521913
46.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7GC 042203
47.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1DU 002508
48.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6LV 105923
49.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5RF 607811
50.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0ME 887293
51.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3TG 134663
52.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9HA 687796
53.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0LV 315217
54.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3SW 614838
55.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2HR 266453

56.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2HR 266456
57.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6UH 528015
58.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7BP 216088
59.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8SP 969104
60.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2RA 142353
61.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9FV 185070
62.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2NE 189066
63.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1HV 029719
64.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1GH 451294
65.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3VG 669893
66.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5EK 436863
67.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4LK 196608
68.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1GU 104206
69.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2KW 072414
70.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1PA 526850
71.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4AE 041400
72.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9VL 012969
73.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0DF 741983
74.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9GF 142875
75.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7TP 538518
76.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5BU 789203
77.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8GB 415150
78.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0AA 746248
79.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7EC 460798
80.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0HS 466256
81.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7QR 846159
82.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1ED 481685
83.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5EU 486008
84.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5VE 477597
85.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2KA 893069
86.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4VG 839175
87.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2PN 931809
88.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4FD 900912
89.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7SD 687555
90.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7SD 687554

तत्पश्चात आरोपी श्री अजय भार्गव द्वारा ग्रहण की गई उक्त रिश्वत राशि 45,000/– रूपयें को एक कागज की चिट लगाकर सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करा वहज सुबुत जब्त कर कब्जे ब्यूरों लिये गये। तत्पश्चात् आरोपी श्री अजय भार्गव के पास से उक्त नोटों के साथ मिले 500–500 रूपये के 5 नोट कुल 2,500/– रूपये के बारे में पूछने पर बताया कि उक्त 2,500/– रूपये भी मुझे अभी श्री शान्तिलाल कटारा ने 45,000/– रूपये के साथ ही मुझे अलग से दिये हैं। जिस पर गवाह श्री मांगीलाल बुनकर के पास रखे शेष 500–500 रूपये के 05 नोट के नम्बरों का मिलान श्री दिनेश कानि. के मोबाईल में दिनांक 10.10.2023 को खींचे गये नोटों के फोटो से मिलान किया गया तो हुबहु हो निम्नानुसार होना पाया गया:–

क.स.	नोट का प्रकार	नोटों के नम्बर
1.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1CP 951011
2.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1 MV 724863
3.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1 FQ 894493
4.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3 AK 760198

5.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1 FS 128658

तत्पश्चात आरोपी श्री अजय भागर्व द्वारा ग्रहण की गई रिश्वत राशि 2,500/– रूपये को एक कागज की चिट लगाकर सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करा वजह सबुत पृथक से जब्त कर कब्जे ब्यूरो लिये गये। तत्पश्चात् कार में कॉड्राईवर सीट के सीट बेल्ट लॉक के पास बरामद नोटों के स्थान का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से मन् पुलिस निरीक्षक मय उपरोक्त गवाहान जाब्ता आरोपी को हमरा लेकर डाक बंगला परिसर में खडी सहपरिवादी की उक्त कार के पास गये जहां पूर्व से श्री दिनेश कुमार कानि निगरानी में खडा हुआ मिला। तत्पश्चात श्री प्रदीप कुमार कानि से एक प्लास्टिक के पारदर्शी गिलास में साफ पीने का पानी भरवाकर गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाया जाकर चम्मच से हिलाया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। उक्त पानी के घोल में एक कपडे की चिन्दी को भिगोया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। उक्त भीगे हुए कपडे की चिन्दी को उक्त कार के कॉड्राईवर सीट के सीट बेल्ट लॉक के पास बरामद नोटों के स्थान पर घुमाया जाकर पानी के गिलास में धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ। जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर शीशियों को श्री सुरेश सोनी सउनि से सिलचिट करा मार्क C–1 व C –2 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् गवाहान परिवादी के समक्ष आरोपी से दिनांक 07.10.2023 को दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता अपनी मांग अनुसार ग्रहण किये गये 10,000 रूपये एवं दिनांक 10.10.2023 को दौराने मांग सत्यापन वार्ता के दौरान रजवाडी चाय की होटल के सामने 5,000 रूपये ग्रहण कर श्री पंकज पण्ड्या की कार में डेशबोर्ड में रखवाये गये के बारे में पूछने पर आरोपी ने बताया कि दिनांक 07.10.2023 को ग्रहण किये 10,000 रूपये एवं मेरे पास पडे हुए अन्य 20,000 रूपये मिलाकर कुल 30,000 रूपये दिनांक 09.10.2023 को मेने मेरे भतीज श्री अक्षत भार्गव के आईसीआईसीआई बैंक खाते में केश जमा करवाये हैं तथा कल दिनांक 10.10.2023 को ग्रहण किये गये 5,000 रूपये मेने उसी समय कार के डेशबोर्ड से लेकर डाक बंगला के मेरे ठहरने वाले कक्ष में लगी हुई वार्डरोब में रखे हुए बेग में रखे हैं। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उपस्थितिन के समक्ष आरोपी के उक्त कक्ष संख्या 02 की वार्डरोब में रखे एक बेग की तलाशी ली गई तो में बेग में रखे हुए कपडों के बीच में 500–500 रूपये के कुछ नोट मिले जिन्हे मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा गिना गया तो उक्त 500–500 रूपये के 10 नोट कुल 5,000 रूपये होना पाया गया जिनके नम्बरों का मिलान श्री दिनेश कानि. के मोबाईल में दिनांक 10.10.2023 को खींचे गये नोटों के फोटो से मिलान किया गया तो हुबहु हो निम्नानुसार होना पाया गया:–

क्र.स.	नोट का प्रकार	नोटों के नम्बर
1.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8KW 347896
2.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9KT 843001
3.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2GH 806491
4.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1SR 444211
5.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4RN 638814
6.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7GC 326287
7.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6KH 087655
8.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5AU 447726
9.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4 BT 923134
10.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2 AE 826208

तत्पश्चात आरोपी श्री अजय भार्गव द्वारा ग्रहण की गई रिश्वत राशि 5,000 रूपयें को एक कागज की चिट लगाकर सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करा वहज सबुत पृथक से जब्त कर कब्जे ब्यूरों लिये गये। इसके अतिरिक्त उक्त बेग में 21,605/– रूपये मिले जिसके बारे में पूछने पर आरोपी ने बताया कि उक्त रूपये मेरे वेतन के हैं जो मेने स्वयं के खर्च के लिए बैंक से निकलवाये हैं। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री पंकज पण्ड्या जेटीए को जरिये दूरभाष तलबी हेतु पाबन्द कराया गया। तत्पश्चात् आरोपी के द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण कर अपनी पहनी हुई पेंट की सामने की दाहिनी जेब में रखना पाया जाने से तथा उक्त पेंट का नियमानुसार धोवन लिया जाना आवश्यक होने से आरोपी की पहनी हुई उक्त पेंट को ससम्मान खुलवाई जाकर आरोपी के कक्ष में रखी हुई एक अन्य पेंट पहनाई गई। तत्पश्चात गवाह श्री कैलाश डांगी कनिष्ठ सहायक से ट्रेप में

रखा एक नया प्लास्टिक का पारदर्शी गिलास निकलवाकर गिलास में साफ पीने का पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाया जाकर चम्मच से हिलाया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। उक्त पानी के घोल में आरोपी के पहने हुए उक्त पेंट की दाहिनी जेब को भिगोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ। जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को श्री सुरेश सोनी सउनि से सिलचिट करा मार्क P-1 व P -2 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी श्री अजय भार्गव की जामा तलाशी में एक मोबाईल फोन ऐप्पल आईफोन 12 बरंग काला एवं एक लावा कम्पनी का किपेड मोबाईल फोन जिन्हें पृथक से जरिये फर्द जब्ती जब्त किया जावेगा।

तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक आरोपी श्री अजय कुमार भार्गव अधिशाषी अभियंता को परिवादी श्री शान्तिलाल कटारा सरपंच पुत्र ग्राम पंचायत सत्तु पंचायत समिति दोवडा की महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत स्वीकृत किये गये कार्यों की पत्रावलियों के बारे में पूछने पर आरोपी ने बताया कि ग्राम पंचायत सत्तु, पंचायत समिति दोवडा, डूंगरपुर में महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत कुल 16 कार्य की तकनीकी स्वीकृति हेतु पत्रावलीयां पंचायत समिति दोवडा से कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् डूंगरपुर में प्राप्त हुई। मैं जिला परिषद डूंगरपुर में अधिशाषी अभियंता नरेगा के पद पर कार्यरत होने से उक्त पत्रावलीयों में तकनीकी स्वीकृति हेतु पत्रावलीयां मेरे समक्ष प्रस्तुत की गई जिस पर मेरे द्वारा नोटशीट पर अपनी टिप्पणी अंकित कर पत्रावलीयों को लेखाधिकारी को भेजी गई। तत्पश्चात् मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा जिला कलेक्टर डूंगरपुर के आदेश कमांक 11135 दिनांक 08.10.2023 से वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। इसके बाद मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्रावली प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति हेतु पुनः मेरे समक्ष प्रस्तुत की जिस पर मेने प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति हेतु अपनी टिप्पणी अंकित की। ग्राम पंचायत सत्तु में कुल 16 कार्यों मे से 12 कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति जारी की गई। उक्त समस्त पत्रावलीयां वर्तमान में जिला परिषद् डूंगरपुर में है। उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर नमूना सील अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

तत्पश्चात् तलबीशुदा श्री पंकज पण्ड्या पुत्र श्री बसन्तलाल जी उम्र 38 वर्ष निवासी गांव वसी, पुलिस थाना दोवडा जिला डूंगरपुर हाल जेटीए (संविदा) पंचायत समिति दोवडा, जिला डूंगरपुर उपस्थित हुआ। श्री पंकज पण्ड्या जेटीए से दिनांक 10.10.2023 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के दौरान बस स्टेण्ड डूंगरपुर के पास स्थित रजवाडी चाय के सामने परिवादी श्री शान्तिलाल कटारा से लिये गए 5,000/- रूपये के बारे में पूछने पर श्री पंकज पण्ड्या ने बताया कि मैं पंचायत समिति दोवडा में जेटीए के पद पर संविदा कर्मी के रूप में कार्यरत होने से श्री अजय भार्गव अधिशाषी अभियन्ता नरेगा जिला परिषद, डूंगरपुर से मेरी विभागीय कामों से आपसी मिलना-जुलना होता रहता है। दिनांक 10.10.2023 को सांय श्री अजय भार्गव अधिशाषी अभियन्ता ने मुझे डाक बंगले पर बुलाया था। इसके बाद हम दोनों रजवाडी चाय की दूकान पर मेरी कार से गये थे। हम वहां चाय पी रहे थे तभी वहां पर श्री शान्तिलाल कटारा एवं श्री सुरेश पाटीदार जेटीए दोनों भी आये श्री शान्तिलाल कटारा श्रीमती काली देवी कटारा सरपंच ग्राम पंचायत सत्तु, पंचायत समिति दोवडा, जिला डूंगरपुर के पुत्र होने से मैं इनको जानता हुं। इसके पश्चात् श्री शान्तिलाल कटारा ने श्री अजय भार्गव अधिशाषी अभियन्ता से उनके कार्यों की स्वीकृति के सम्बंध में वार्ता की तो श्री अजय भार्गव से रूपये लेन-देन सम्बंधित वार्ता की जिस पर मेरे द्वारा भी श्री अजय भार्गव साहब से निवेदन किया था। इसके पश्चात् कार में जाकर बेठ गया। कुछ समय पश्चात् श्री शान्तिलाल कटारा मेरी कार के पास आये और कार के डेशबोर्ड पर 500-500 रूपये के कुछ नोट लेकर रख कर चले गये। इसके पश्चात् श्री अजय भार्गव कार में आकर बेठे एवं डेशबोर्ड में रखे उक्त 500-500 रूपये के नोटों को लेकर अपनी जैब में रखे तथा हम वहां से पुनः डाक बंगले पर आये और मैं उनको डाक बंगले पर छोड कर अपने घर चला गया था। आज आपके द्वारा बुलाये जाने पर मैं यहां उपस्थित हुआ हुं। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उपरोक्त गवाहान एवं परिवादीगण के समक्ष आरोपी श्री अजय भार्गव अधिशाषी अभियन्ता से पूछा गया तो आरोपी ने बताया कि श्री पंकज पण्ड्या ग्राम पंचायत दोवडा में जेटीए के पद पर कार्यरत है। दिनांक 10.10.2023 को मैं डाक बंगले पर उपस्थित था। मेरे पास गाडी नहीं होने से मेने श्री पंकज पण्ड्या को उसकी कार लेकर डाक बंगले पर बुलाया था इसके बाद हम दोनों चाय पीने के लिए रजवाडी चाय की दूकान बस स्टेण्ड गये थे। इसी दौरान श्री शान्तिलाल कटारा एवं श्री सुरेश पाटीदार वहां पर आये थे। एसीबी कार्यवाही के डर से मेने श्री शान्तिलाल कटारा से जो 5,000/- रूपये लिये वो श्री पंकज पण्ड्या की कार में रखवाये थे। जिसके बाद उक्त राशि मेने स्वयं लेकर अपने पास रखी थी। उक्त राशि में श्री पंकज पण्ड्या का कोई हिस्सा नहीं है।

तत्पश्चात् दिनांक 07.10.2023 को परिवादीगण श्री शान्तिलाल कटारा व श्री सुरेश पाटीदार एवं आरोपी श्री अजय भार्गव के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन संबंधी वार्ता जिसे परिवादी श्री शान्तिलाल कटारा द्वारा ब्यूरो के डिजिटल वॉइस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया था। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार कानि श्री दिनेश कुमार ने उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर को लेपटोप से कनेक्ट कर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादीगण श्री शान्तिलाल कटारा व श्री सुरेश पाटीदार एवं आरोपी श्री अजय भार्गव को उक्त रिकॉर्डशुदा वार्ता को सुनाई गई तो परिवादीगण एवं आरोपी ने अपनी-अपनी आवाज की ताईद की जिस पर उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट कानि0 श्री दिनेश कुमार द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में सुनकर टंकण कर पृथक से मूर्तिब की गई। फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की लेपटोप की सहायता से कानि0 श्री दिनेश कुमार से एक मूल, एक आरोपी एवं एक आईओ प्रति सीडीयां डब करवाई जाकर मार्क A अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मूल सीडी को एक कपडे की थैली में सील्ड मोहर कर चीट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा आरोपी प्रति एवं आईओ प्रति डब सीडी को अनसील्ड रखा गया। इसके बाद दिनांक 07.10.2023 को समय करीब 03.33 पी.एम. पर आरोपी श्री अजय भार्गव के मोबाईल नम्बर 9414189371 से सहपरिवादी श्री सुरेश पाटीदार के मोबाईल नम्बर 9783446884 पर हुई मोबाईल वार्ता जिसे ब्यूरो के डिजिटल वॉइस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया था। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार कानि श्री दिनेश कुमार ने उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर को लेपटोप से कनेक्ट कर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादीगण श्री शान्तिलाल कटारा व श्री सुरेश पाटीदार एवं आरोपी श्री अजय भार्गव को उक्त रिकॉर्डशुदा वार्ता को सुनाई गई तो परिवादी श्री सुरेश पाटीदार एवं आरोपी ने अपनी-अपनी आवाज की ताईद की तथा परिवादी श्री शान्तिलाल कटारा ने उक्त वार्ता में एक आवाज श्री सुरेश पाटीदार व अन्य आवाज श्री अजय भार्गव की होना बताया। जिस पर उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट कानि0 श्री दिनेश कुमार द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में सुनकर टंकण कर पृथक से मूर्तिब की गई। फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की लेपटोप की सहायता से कानि0 श्री दिनेश कुमार से एक मूल, एक आरोपी एवं एक आईओ प्रति सीडीयां डब करवाई जाकर मार्क B अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मूल सीडी को एक कपडे की थैली में सील्ड मोहर कर चीट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा आरोपी प्रति एवं आईओ प्रति डब सीडी को अनसील्ड रखा गया।

तत्पश्चात् दिनांक 10.10.2023 को परिवादीगण श्री शान्तिलाल कटारा व श्री सुरेश पाटीदार एवं आरोपी श्री अजय भार्गव के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जिसे परिवादी श्री शान्तिलाल कटारा द्वारा ब्यूरो के डिजिटल वॉइस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया था। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार कानि श्री दिनेश कुमार ने उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर को लेपटोप से कनेक्ट कर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादीगण श्री शान्तिलाल कटारा व श्री सुरेश पाटीदार एवं आरोपी श्री अजय भार्गव को उक्त रिकॉर्डशुदा वार्ता को सुनाई गई तो परिवादीगण एवं आरोपी ने अपनी-अपनी आवाज होना एवं एक अन्य आवाज श्री पंकज पण्ड्या, जेटीओ पंचायत समिति दोवडा, डूंगरपुर की होना ताईद की जिस पर उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट कानि0 श्री दिनेश कुमार द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में सुनकर टंकण कर पृथक से मूर्तिब की गई। फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की लेपटोप की सहायता से कानि0 श्री दिनेश कुमार से एक मूल, एक आरोपी एवं एक आईओ प्रति सीडीयां डब करवाई जाकर मार्क C अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मूल सीडी को एक कपडे की थैली में सील्ड मोहर कर चीट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा आरोपी प्रति एवं आईओ प्रति डब सीडी को अनसील्ड रखा गया।

इसके बाद दिनांक 11.10.2023 को परिवादीगण श्री शान्तिलाल कटारा व श्री सुरेश पाटीदार एवं आरोपी श्री अजय भार्गव के मध्य रिश्वत राशि लेन देन के वक्त हुई वार्ता जिसे परिवादी श्री शान्तिलाल कटारा द्वारा ब्यूरो के डिजिटल वॉइस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया था। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार कानि श्री दिनेश कुमार ने उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर को लेपटोप से कनेक्ट कर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादीगण श्री शान्तिलाल कटारा व श्री सुरेश पाटीदार एवं आरोपी श्री अजय भार्गव को उक्त रिकॉर्डशुदा वार्ता को सुनाई गई तो परिवादीगण एवं आरोपी ने अपनी-अपनी आवाज की ताईद की जिस पर उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट कानि0 श्री दिनेश कुमार द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में सुनकर टंकण कर पृथक से मूर्तिब की गई। फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की लेपटोप की सहायता से कानि0 श्री दिनेश कुमार से एक मूल, एक आरोपी एवं एक आईओ प्रति सीडीयां डब करवाई जाकर मार्क D अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मूल सीडी को एक कपडे की थैली में सील्ड मोहर कर

चीट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा आरोपी प्रति एवं आईओ प्रति डब सीडी को अनसील्ड रखा गया।

तत्पश्चात् आरोपी श्री अजय भार्गव हाल अधिशाषी अभियन्ता, कार्यालय जिला परिषद्, डूंगरपुर के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से नियमानुसार किये गये कृत्य से आगाह किया जाकर धारा 41(क) सीआरपीसी के प्रावधानों से अवगत करा हस्बकायदा गिरफ्तार किया जाकर गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहेनुसार उनके मित्र श्री भवानी सिंह को जरिये मोबाईल नम्बर 8949956301 दी गई। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मूर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी के सरकारी डाकबंगला मे निवास संबधित दस्तावेज डांक बंगला से प्राप्त कर शामिल पत्रावली किये। मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादीगण श्री शान्तिलाल कटारा व श्री सुरेश पाटीदार की निशादेही से घटना स्थल का निरीक्षण कर फर्द घटना स्थल नक्शा मौका मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये।

कार्यालय जिला परिषद् डूंगरपुर से परिवादी की ग्राम पंचायत से संबधित नरेगा कार्यो की पत्रावलीयों की प्रमाणित फोटो प्रतियां श्री भूपेन्द्र सिंह चौहान हाल एमआईएस मैनेजर, (संविदाकर्मी) जिला परिषद् डूंगरपुर लेकर आये जिन्हे बाद अवलोकन कर शामिल पत्रावली किये। श्री भुपेन्द्रसिंह चौहान को रिकॉर्डर से रिश्वत राशि मांग सत्यापन, मोबाईलफोन एवं लेनदेन वार्ता को चलाकर कर सुनाया गया तो उसके द्वारा रिकॉर्ड वार्ता में एक आवाज श्री अजय भार्गव की होना बताया। तत्पश्चात् डिजिटल टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त मूल मैमोरी कार्ड सेनडिस्क 16 जीबी बरंग काला में रिकॉर्ड की गई। उक्त मेमोरी कार्ड को डिजिटल टेप रिकॉर्डर में से मूल ही निकलवाया जाकर वजह सबूत जब्त किया गया, मेमोरी कार्ड को प्लास्टिक की छोटी डिब्बी के अन्दर रखकर सफेद कपडे की थैली में रखकर सीलचिट कर चिट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क E अंकित किया गया। फर्द जप्ती मेमोरी कार्ड पृथक से मूर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् श्री अजय भार्गव अधिशाषी अभियन्ता, कार्यालय जिला परिषद्, डूंगरपुर की जामा तलाशी में मिला एक मोबाईल फोन एप्पल कम्पनी का मोबाईल आईफोन 14 प्लस बरंग काला (लॉक कोड- 147258) मय एक सिम मोबाईल नम्बर 9414189371, जिसके आईएमईआई नम्बर कमशः प्रथम 352485855142052 एवं दुसरा 352485855439557 है जिसे वजह सबुत जब्त किया गया। उक्त मोबाईल फोन से आरोपी श्री अजय भार्गव की परिवादी श्री सुरेश पाटीदार से दिनांक 07.10.2023 को जरिये व्हाट्सएप ऑडियो कॉल वार्ता होने से वजह सबुत जब्त किया गया। फर्द जब्ती मोबाईल फोन मूर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी श्री अजय भार्गव अधिशाषी अभियन्ता, नरेगा कार्यालय जिला परिषद्, डूंगरपुर को अपनी आवाज नमूना एवं अपना स्पष्टीकरण चाहने हेतु पत्र दिया जिस पर आरोपी द्वारा अपनी आवाज का नमूना नहीं देने एवं अपना स्पष्टीकरण न्यायालय में पेश करने बाबत् अंकित कर अपने हस्ताक्षर किये। तहरीर को गवाहान के हस्ताक्षर करवा शामिल कार्यवाही किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक उपरोक्त गवाहान आरोपी एवं परिवादी सहपरिवादी के समक्ष श्री दिनेश कुमार कानि के मोबाईल फोन में परिवादी के द्वारा दिनांक 10.10.2023 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता से पूर्व दिये जाने वाली रिश्वत राशि के मे से 500-500 रूपये के 30 नोट कुल 15,000 रूपये के 03 फोटो ग्राफ लिये गये थे उक्त नोटो के फोटो के ब्लेक एण्ड वाईट प्रिंट लिवाये जाने हेतु श्री दिनेश कुमार कानि के मोबाईल फोन को कार्यालय के लेपटोप से कनेक्ट कर प्रिंट निकालकर परिवादी गवाहान एवं आरोपी के हस्ताक्षर करवा शामिल पत्रावली किये गये। बाद कार्यवाही परिवादी श्री शांतिलाल कटारा एवं सहपरिवादी श्री सुरेश पाटीदार को बाद हिदायत रूखसत किया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान, गिरफ्तारशुदा आरोपी मय हमराहियान जाब्ता, प्रिन्टर लेपटॉप यूपीएस मय ट्रेप बॉक्स एवं जब्तशुदा सीलबंद मालखाना आर्टिकल्स, आवश्यक संसाधन प्राईवेट टेक्सी वाहन से भ्र0नि0 ब्यूरों एसयू उदयपुर के लिए रवाना उदयपुर पहुचं गिरफ्तारशुदा आरोपी को सुरक्षा की दृष्टि से जरिये तेहरीर पुलिस थाना हाथीपोल में जमा करा रसीद प्राप्त कर भ्र0नि0 ब्यूरों एसयू उदयपुर पहुंचा। जब्त शुदा मालखाना आर्टीकल श्री सुरेश सोनी मालखाना प्रभारी को सुरक्षा की दृष्टि से संभलाकर मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करने की हिदायत दी गई।

तत्पश्चात् आरोपी को थाने से प्राप्त कर मेडीकल करा बाद माननीय न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण मामलात/ संबंधित न्यायालय में न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर आरोपी श्री अजय भागर्व, अधिशाषी अभियंता को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश होने से वारन्ट प्राप्त कर नियमानुसार केन्द्रिय करागार उदयपुर पर सुपुर्द कर रसीद प्राप्त की गई।

इस प्रकार आरोपी श्री अजय भार्गव, अधिशाषी अभियंता नरेगा जिला परिषद डूंगरपुर के द्वारा लोक सेवक पद पर पदस्थापित होते हुए अपने पद एवं अधिकारो का दूरूपयोग कर परिवादी श्री शान्तिलाल कटारा (सरपंच पुत्र) की ग्राम पंचायत में होने वाले नरेगा कार्यो की पत्रावलीयों में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करवाने की एवज दिनांक 07.10.2023 को 10,000, दिनांक 10.10.2023 को 5,000 रूपये एवं दौराने लेनदेन वार्ता दिनांक 11.10.2023 के दौरान आरोपी द्वारा अपनी मांग के अनुसार 45,000 रूपये ग्रहण करने के पश्चात परिवादी से 5,000 रूपये की ओर मांग की जिस पर परिवादी द्वारा अपने पास से दिये गये 2,500 रूपये कुल 47,500 रूपये रिश्वत राशि ग्रहण कर सहपरिवादी की कार के कॉ ड्राईवर के सीट बेल्ट लॉक के पास रखना करना जुर्म अन्तर्गत धारा 7, पीसी 1988 (संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।

अतः श्री अजय भार्गव पुत्र श्री बसंत किशोर भार्गव, उम्र 58 वर्ष, निवासी 1 के 58, महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा हाल अधिशाषी अभियन्ता, नरेगा, कार्यालय जिला परिषद, डूंगरपुर के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विस्तृत अनुसंधान किया जाना उचित होगा।

अतः बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन श्रीमान् की सेवामें सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(रतनसिंह राजपुरोहित)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों
एसयू उदयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट, श्री रतनसिंह राजपुरोहित, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. उदयपुर ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री अजय भार्गव पुत्र श्री बंसत किशोर भार्गव हाल अधिशाषी अभियन्ता, नरेगा, कार्यालय जिला परिषद, डूंगरपुर के विरूद्ध घटित होना पाया गया है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 271/2023 उपरोक्त धारा में पंजीबद्ध कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।

12/10/23

(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांकः- 2924-27 दिनांक 12.10.2023
प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
3. शासन सचिव एवं आयुक्त महोदय पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू., उदयपुर।

12/10/23

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।